भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 915
दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जन औषधि केन्द्रों को औषधियों की आपूर्ति

915. एडवोकेट अदूर प्रकाशः
डॉ. एम.पी. अब्दुस्समद समदानीः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जन औषधि केन्द्रों को औषधियों की आपूर्ति करने वाले जेनेरिक दवा निर्माताओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) देश में औषधि निरीक्षण अधिकारियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार ने उन सलाहों/सुझावों पर ध्यान दिया है कि सीडीएससीओ द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों के परिणामस्वरुप जन औषधि बिक्री केन्द्रों पर घटिया गुणवत्ता वाली औषधियां बेची जा सकती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) उचित गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): आज तक की स्थिति के अनुसार, दवाइयों, सर्जिकल उपकरणों, न्यूट्रास्युटिकल्स और आयुर्वेदिक उत्पादों की आपूर्ति के लिए 206 दवा विनिर्माता प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) की कार्यान्वयन एजेंसी भारतीय औषध और चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) से जुड़े हुए हैं। इन दवा विनिर्माताओं की सूची **अनुलग्नक** के रूप में संलग्न है।
(ख): सीडीएससीओ में औषधि निरीक्षक के स्वीकृत पदों की संख्या 504 है, जिसमें औषधि निरीक्षक के 419 पद तथा औषधि निरीक्षक (चिकित्सा उपकरण) के 85 पद शामिल हैं। औषधि निरीक्षण अधिकारियों की राज्य-वार जानकारी केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(ग): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ): उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन – उत्तम विनिर्माण पद्धतियां (डब्ल्यूएचओ-जीएमपी) प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं से दवाइयाँ खरीदता है। दवाओं के प्रत्येक बैच का परीक्षण राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड(एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में किया जाता है। गुणवत्ता परीक्षण पास करने के बाद दवाओं को जन औषधि केंद्रों (जेएके) पर भेज दिया जाता है ।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में विनिर्मित दवाओं की गुणवत्ता, प्रभावकारिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। प्रमुख उपाय निम्नानुसार हैं-

i. देश में दवा विनिर्माण परिसर के विनियामक अनुपालन का आकलन करने के लिए, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने राज्य औषधि नियंत्रकों (एसडीसी) के साथ 400 से अधिक परिसरों का जोखिम-आधारित निरीक्षण किया है। फर्मों की पहचान जोखिम मानदंडों जैसे मानक गुणवत्ता की नहीं औषधियों की संख्या, शिकायतें, उत्पादों की महत्वपूर्णता आदि के आधार पर की गई है। निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर, राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा औषधि नियम, 1945 के प्रावधानों के अनुसार 300 से अधिक कार्य जैसे कारण बताओ नोटिस जारी करना, उत्पादन रोकने का आदेश, निलंबन, लाइसेंस/उत्पाद लाइसेंस रद्द करना आदि किए गए हैं।

ii. केंद्र सरकार ने अच्छे विनिर्माण पदि्तयों और औषध उत्पादों के लिए परिसर, संयंत्र और उपकरणों की आवश्यकताओं से संबंधित उक्त नियमों की अनुसूची-एम को संशोधित करने के लिए जीएसआर 922(अ) दिनांक 28.12.2023 के अंतर्गत औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार, कार्यान्वयन के लिए विनिर्माताओं के लिए संशोधित अच्छी विनिर्माण पदि्तयां और आवश्यकताएं निम्नानुसार लागू होंगी:

विनिर्माताओं की श्रेणी [टर्नओवर (रुपये) के आधार पर]	कार्यान्वयन के लिए समय सीमा
बड़े विनिर्माता (टर्नओवर > 250 करोड़)	इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से छह महीने।
लघु और मध्यम विनिर्माता (टर्नओवर <250 करोड़)	इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से बारह महीने।

iii. औषधि नियम, 1945 को दिनांक 17.11.2022 को जी.एस.आर.823(अ) के द्वारा संशोधित किया गया था, जो 1 अगस्त, 2023 को लागू होंगे, जिनमें उपबंधित है कि अनुसूची एच2 में विनिर्दिष्ट औषधि विनिर्माण उत्पादों के विनिर्माता इसके प्राथमिक पैकेजिंग लेबल पर बार कोड या क्विक रेसपोंस कोड प्रिंट करें अथवा चिपकाएं या, प्राथमिक पैकेज लेबल में अपर्याप्त स्थान होने की स्थिति में, द्वितीयक पैकेज लेबल पर प्रमाणीकरण की सुविधा के लिए सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन के साथ सुपाठ्य हो जो डेटा या जानकारी संग्रहीत करता है।

iv. औषधि नियम, 1945 को दिनांक 18.01.2022 को जी.एस.आर. 20 (अ) के द्वारा संशोधित किया गया था जिसमें उपबंधित था कि भारत में विनिर्मित या आयातित प्रत्येक सक्रिय औषधीय घटक (बल्क औषधि) के लेबल पर प्रत्येक स्तर पर क्विक रेसपॉस कोड को प्रदर्शित किया जाएगा जो ट्रैकिंग और ट्रेसिंग को सुगम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के साथ डाटा या सूचना को पढ़ने योग्य संग्रहीत करता है। संग्रहीत डेटा या सूचना में विशिष्ट उत्पाद पहचान कोड, बैच संख्या, विनिर्माण तिथि, समाप्ति तिथि आदि सहित न्यूनतम विवरण शामिल होंगे।

v. औषधि नियम, 1945 को दिनांक 11.02.2020 को जी.एस.आर.101 (अ) के द्वारा संशोधित किया गया था जिसमें यह उपबंधित था कि दिनांक 01.03.2021 से कोई भी विपणक जो किसी भी दवा की बिक्री करता है या वितरित करता है, उस दवा की गुणवत्ता के साथ-साथ इन नियमों के अंतर्गत विनिर्माता के साथ-साथ अन्य विनियामक अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा।

vi. नकली और मिलावटी दवाइयों के विनिर्माण के लिए कड़े दंड का प्रावधान करने के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में संशोधन किया गया था। कुछ अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती भी बनाया गया है।

vii. राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों ने औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के त्वरित निपटान के लिए विशेष अदालतें स्थापित की हैं।

viii. औषधियों की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में संशोधन किया गया है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि आवेदक को कुछ औषधियों के मौखिक (ओरल) खुराक के रूप में विनिर्माण लाइसेंस देने के लिए आवेदन के साथ जैव-समतुल्यता अध्ययन का परिणाम प्रस्तुत करना होगा।

ix. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में संशोधन करते हुए यह अनिवार्य किया गया है कि विनिर्माण लाइसेंस देने से पहले, विनिर्माण प्रतिष्ठान का केंद्र सरकार और राज्य सरकार के औषधि निरीक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाएगा।

x. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में संशोधन करते हुए यह अनिवार्य किया गया है कि आवेदक प्राधिकरण द्वारा विनिर्माण लाइसेंस देने से पहले राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण को स्थिरता, सहायक पदार्थों की सुरक्षा आदि के साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।

xi. केंद्रीय विनियामक राज्य औषधि नियंत्रण संगठनों की गतिविधियों का समन्वय करता है और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रशासन में एकरूपता के लिए राज्य औषधि नियंत्रकों के साथ आयोजित औषधि सलाहकार समिति (डीसीसी) की बैठकों के माध्यम से विशेषज्ञ सलाह प्रदान करता है।

xii. केंद्र सरकार सीडीएससीओ, राज्य औषधि विनियामक प्राधिकरणों को अच्छे विनिर्माण पद्तियों पर नियमित आवासीय, क्षेत्रीय प्रशिक्षण और कार्यशालाएं प्रदान कर रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सीडीएससीओ ने 22854 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 13007 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

xiii. इसके अतिरिक्त, देश में केन्द्र और राज्य स्तर पर औषधि विनियामक प्रणाली को सशक्त करने के लिए सरकार ने 1750 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसमें से 900 करोड़ रुपये केंद्रीय औषधि नियामक ढांचे को सशक्त करने के लिए और 850 करोड़ रुपये केंद्र प्रायोजित योजना 'राज्यों की औषधि विनियामक प्रणाली (एसएसडीआरएस) को सशक्त' करने के लिए हैं, जिसका उद्देश्य राज्यों में प्रयोगशाला बुनियादी ढांचे को सशक्त करना और मौजूदा राज्य औषधि नियंत्रक कार्यालयों को उन्नत करना है। एसएसडीआरएस योजना के अंतर्गत अब तक 17 नई औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का विनिर्माण किया गया है तथा 24 मौजूदा प्रयोगशालाओं को उन्नत किया गया है।

अनुलग्नक

जन औषधि केंद्रों में दवाओं की आपूर्ति के संबंध में एडवोकेट अदूर प्रकाश, डॉ. एम पी अब्दुस्समद समदानी द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 29.11.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 915 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

क्र.सं.	विनिर्माता का नाम	श्रेणी
1	एक्यूलाइफ हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	निजी
2	एडमैक लाइफसाइंसेज	निजी
3	एजिस लाइफसाइंसेस प्राइवेट लिमिटेड	निजी
4	अफ़ी पैरेंट्रल	निजी
5	एजियो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	निजी
6	ऐश्वर्या हेल्थकेयर	निजी
7	एके हेल्थ टेक प्राइवेट लिमिटेड	निजी
8	एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (प्लांट-1)	निजी
9	ऑल हेवेन्स एक्सिम	निजी
10	एमके प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	निजी
11	आंध्र प्रदेश मेडटेक ज़ोन लिमिटेड	एसपीएसयू
12	असोज सॉफ्ट कैप्स प्राइवेट लिमिटेड	निजी
13	बजाज हेल्थकेयर लिमिटेड	निजी
14	बाल फार्मा लिमिटेड.	निजी
15	बीडीआर फार्मास्यूटिकल्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	निजी
16	भारत पैरेन्ट्रल लिमिटेड	निजी
17	भारती मिल्क फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	निजी
18	बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड	निजी
19	बायोडील फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	निजी
20	बायोजेनिक्स इंक प्राइवेट लिमिटेड	निजी
21	बायोलॉजिकल ई लिमिटेड	निजी
22	ब्रिस्क सर्जिकल्स कॉटन लिमिटेड	निजी
23	ब्रियोसिस सॉफ्ट कैप्स प्राइवेट लिमिटेड	निजी
24	कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड.	निजी
25	केयर मेडिकल डिवाइसेज लिमिटेड	निजी
26	सेंटॉर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	निजी
27	सेंचुरियन रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड	निजी
28	सियान हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	निजी
29	सिप्को फार्मास्यूटिकल्स	निजी
30	सिप्ला लिमिटेड	निजी
31	सीएमजी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड	निजी

32	कॉन्सेप्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	निजी
33	कंसर्न फार्मा लिमिटेड	निजी
34	कॉन्टिनेंटल मिल्कोज़ (इंडिया) लिमिटेड	निजी
35	कोरल लेबोरेटरीज लिमिटेड	निजी
36	क्रेसेन्ज़िया वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड	निजी
37	क्यूपिड लिमिटेड	निजी
38	डेफोडिल्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	निजी
39	डिवाइन लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	निजी
40	डायनेमिक टेक्नो मेडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	निजी
41	ईस्ट अफ्रीकन (इंडिया) ओवरसीज	निजी
42	एल्नोवा फार्मा	निजी
43	एरिस लाइफसाइंसेज लिमिटेड	निजी
44	एस्काग फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	निजी
45	एसेंज़ा न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड	निजी
46	यूकेयर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	निजी
47	एफडीसी लिमिटेड	निजी
48	फर्टिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	निजी
49	जेनो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	निजी
50	जेंटेक हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	निजी
51	ग्लोबेला फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	निजी
52	जीएलएस फार्मा लिमिटेड	निजी
53	ग्नोसिस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	निजी
54	हैब फार्मास्यूटिकल्स एंड रिसर्च लिमिटेड.	निजी
55	हेलवुड लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	निजी
56	हसीब फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	निजी
57	हेल्थ बायोटेक लिमिटेड	निजी
58	हेल्थियम मेडटेक लिमिटेड	निजी
59	हेल्दी लाइफ फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	निजी
60	हेटेरो हेल्थकेयर लिमिटेड	निजी
61	हाई केयर ग्लव्स प्राइवेट लिमिटेड	निजी
62	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	सीपीएसयू
63	हिंदुस्तान लैबोरेटरीज लिमिटेड	निजी
64	इंपीरियल मेडकेयर प्राइवेट लिमिटेड	निजी
65	इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सीपीएसयू
66	इनोवा कैपटैब लिमिटेड	निजी
67	इनोवेटिव लिनन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	निजी
68	इंटीग्रेटेड लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	निजी
69	इन्वेन्टिआ हेल्थकेयर लिमिटेड	निजी
70	इस्कॉन सर्जिकल्स लिमिटेड	निजी

71	जे डंकन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	निजी
72	जाजू सर्जिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	निजी
73	के.ए.एंटरप्राइजेज	निजी
74	केएस सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड	निजी
75	काग इंडस्ट्रीज	निजी
76	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	सीपीएसयू
77	केएमएस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी	निजी
78	लैबोरेट फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड	निजी
79	लार्क लेबोरेटरीज (इंडिया) लिमिटेड.	निजी
80	लेजेन्सी रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड	निजी
81	लोगो फार्मा	निजी
82	लोकबेटा फार्मास्यूटिकल्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड	निजी
83	ल्यूपिन लिमिटेड.	निजी
84	एमडी हाइजीन प्राइवेट लिमिटेड	निजी
85	मान फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	निजी
86	मैकलियोड्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	निजी
87	मॅक्सुर फार्मा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	निजी
88	महालक्ष्मी माल्ट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	निजी
89	मलिक लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड	निजी
90	मैनकेयर लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	निजी
91	मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड	निजी
92	मार्क लेबोरेटरीज लिमिटेड	निजी
93	मार्टिन एंड ब्राउन बायोसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड	निजी
94	मारुति मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड	निजी
95	मैस्कॉट हेल्थ सीरीज़ प्राइवेट लिमिटेड	निजी
96	मैटिन्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	निजी
97	मैक्सटार बायो- जेनिक्स	निजी
98	मेड मैनर ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	निजी
99	मेदेवीस रुबप्लास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	निजी
100	मेडिपोल फार्मास्यूटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	निजी
101	मेप्रोमैक्स लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड	निजी
102	मेरिल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	निजी
103	एमफॉर्मिलेट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	निजी
104	एमजीआरएम मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड	निजी
105	माइक्रोन फार्मास्यूटिकल्स	निजी
106	माइक्रोप्योर पैरेंटेरल्स प्राइवेट लिमिटेड	निजी
107	मिडास केयर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	निजी
108	एमजे बायोफार्मा प्राइवेट लिमिटेड	निजी
109	मॉडर्न लेबोरेटरीज	निजी

110	मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड	निजी
111	एमएसएन लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	निजी
112	मुल्तानी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	निजी
113	नंदनी मेडिकल लेबोरेटरीज प्रा. लिमिटेड	निजी
114	नान्ज़ मेडसाइंस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	निजी
115	नैप्रोड लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड	निजी
116	नौलखा इंडस्ट्रीज	निजी
117	नवकार लाइफसाइंसेज	निजी
118	नेम लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	निजी
119	न्यूट्रिज़ो एडवांसिस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	निजी
120	ओम साईं फार्मा पैक	निजी
121	ओमेगा फार्मा	निजी
122	ऑप्टिमस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	निजी
123	ओवरसीज हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड	निजी
124	पी. भोगीलाल प्राइवेट लिमिटेड	निजी
125	पैरामाउंट सर्जिमेड लिमिटेड	निजी
126	पेंटा क्राफ्ट	निजी
127	पेंटा लेटेक्स एलएलपी	निजी
128	परफेक्ट सर्जिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	निजी
129	फार्मा इम्पेक्स लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	निजी
130	फ़रोज़ रेमेडीज़ लिमिटेड.	निजी
131	पोलस्टार पावर इंडस्ट्रीज	निजी
132	पोंटिका एयरोटेक लिमिटेड.	निजी
133	प्रिसाइज़ केमिफार्मा प्राइवेट लिमिटेड	निजी
134	प्रीत रेमेडीज़ लिमिटेड.	निजी
135	प्रोएक्टिव हेल्थ इंक	निजी
136	प्रोकेम फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	निजी
137	पल्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	निजी
138	प्योर एंड क्योर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	निजी
139	रेवेनभेल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	निजी
140	रवियन लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड	निजी
141	रीजेंट अजंता बायोटेक	निजी
142	रिलायंस फॉर्मूलेशन प्राइवेट लिमिटेड	निजी
143	रिलीफ बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड	निजी
144	रेनॉन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	निजी
145	रेवेट लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	निजी
146	राइडबर्ग फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	निजी
147	रिवप्रा फॉर्मूलेशन प्राइवेट लिमिटेड	निजी
148	आरवी लाइफसाइंसेज लिमिटेड	निजी

149	सार बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड	निजी
150	साई पैरेंटरल्स लिमिटेड	निजी
151	सैमिरा इनोफार्म प्राइवेट लिमिटेड	निजी
152	सक्षम लाइफ	निजी
153	सलूड केयर (इंडिया) लिमिटेड	निजी
154	समर्थ लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड	निजी
155	सैंस लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	निजी
156	सावी हेल्थ साइंस	निजी
157	सेखानी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	निजी
158	शमश्री लाइफसाइंसेज लिमिटेड	निजी
159	शारदा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड	निजी
160	शाइन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड.	निजी
161	शिवालिक रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड	निजी
162	शौर्य हाइजीन	निजी
163	श्री राधे हाइजीन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	निजी
164	सिग्नेचर फाइटोकेमिकल इंडस्ट्रीज	निजी
165	स्मार्ट हाइजीया	निजी
166	स्माइलैक्स हेल्थकेयर ड्रग कंपनी	निजी
167	एसपीएम मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड	निजी
168	स्टरीमेड मेडिकल डिवाइसेज प्राइवेट लिमिटेड	निजी
169	स्टराइम्ड सर्जिकल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	निजी
170	सनकेयर फॉर्मूलेशन प्राइवेट लिमिटेड	निजी
171	सनलाइफ साइंसेज	निजी
172	सुपार्श्व स्वैब्स (आई) लिमिटेड	निजी
173	सुपरमैक्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	निजी
174	सुशील यार्न्स प्राइवेट लिमिटेड	निजी
175	स्वेयर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	निजी
176	स्विस गार्नियर लाइफ साइंसेज	निजी
177	स्विस गार्नियर्स बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड	निजी
178	सिंमेडिक लैबोरेटरीज	निजी
179	सिनोकेम फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	निजी
180	सिस्टोकेम लैबोरेटरीज लिमिटेड	निजी
181	टैबलेट्स (इंडिया) लिमिटेड	निजी
182	थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड	निजी
183	थियोन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	निजी
184	तिरुपति मेडिकेयर लिमिटेड.	निजी
185	टीएमटी मेड सोर्स	निजी
186	अल्ट्रा ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-II)	निजी
187	यूनीक्योर इंडिया लिमिटेड.	निजी

188	यूनिमार्क हेल्थकेयर लिमिटेड	निजी
189	यूनिवर्सल प्रोफिलैक्टिक प्राइवेट लिमिटेड	निजी
190	वैशाली हाइजीन प्रोडक्ट्स	निजी
191	वीनस रेमेडीज लिमिटेड	निजी
192	विद्याशा फार्मास्युटिकल	निजी
193	विदित हेल्थकेयर	निजी
194	विविमेड लैब्स लिमिटेड.	निजी
195	वालेस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	निजी
196	विंडलास बायोटेक लिमिटेड	निजी
197	विंग्स बायोटेक एलएलपी	निजी
198	वॉकहार्ट लिमिटेड	निजी
199	याका लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड	निजी
200	याका फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	निजी
201	ज़ी लैबोरेटरीज लिमिटेड.	निजी
202	जेनिथ ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड	निजी
203	ज़िऑन लाइफसाइंसेज लिमिटेड,	निजी
204	जेस्ट फार्मा	निजी
205	ज़िम लैबोरेटरीज लिमिटेड	निजी
206	ज़ाइडस लाइफसाइंसेज लिमिटेड	निजी

*****